

अभ्युक्ति

अभ्युक्ति 14 फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका ।

Charan Marandi  
Vrs  
Arun Kumar Sen

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक

जिला RMA (PA) सं०.....45.....सन् 2021-22

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
<b>18.02.2022</b>	<p>यह र०मि० अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०-87/1999-00 में पारित आदेश दिनांक-21.12.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया ।</p> <p>अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पारित इस आदेश दिनांक-23.08.2021 के विरुद्ध एक अन्य अपील, र०मि० अपील वाद सं०-43/2021-22 में दिनांक-18.01.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है ।</p> <p>ऐसी स्थिति में पुनः इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपायुक्त, दुमका ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपायुक्त, दुमका ।</p>	